संख्या-01/2016/01/94-स्टा०नि०-2-2016-700(01)/15

प्रेषक

आलोक रंजन
मुख्य सचिव
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1. समस्त सी०सी०आर०ए०,
   राजस्व परिषद्
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 01 जनवरी, 2016

विषय- स्टाम्प कमी के वादों की समाधान योजना के संबंध में।

महोदय

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-24/2015/1063/94/स्टा०नि०-2-15-700(01)/2015, दिनांक 04-11-2015 तथा पत्र संख्या-28/2015-1312/94-स्टा०नि०-2/2015-700(01)/15, दिनांक 19-11-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें स्टाम्पवादों के त्वरित निस्तारण के लिए, उसमें निहित स्टाम्प कमी की धनराशि को शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करने के लिए तथा जन सामान्य को अधिकाधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से स्टाम्प कमी के वादों की समाधान योजना माह फरवरी 2016 तक के लिए लागू की गयी है।

2. इस सम्बन्ध में उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार इस योजना में सी०सी०आर०ए०/मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी के न्यायालयों में विचाराधीन स्टाम्पवादों के सापेक्ष निर्गत नोटिसों की संख्या संतोषजनक नहीं है, जिससे योजना का पूर्ण लाभ जन सामान्य को प्राप्त नही हो पा रहा है। कृपया उक्त योजना को जन सामान्य में गहन प्रचार-प्रसार कर अवशेष स्टाम्पवादों का निस्तारण प्रभावी ढंग से समयान्तर्गत सुनिश्चित कराया जाए, जिससे जन सामान्य के मध्य राज्य सरकार की छवि अच्छी रहें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.i

अत: कृपया स्टाम्प कमी के वादों की समाधान योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु अपने न्यायालयों में विचाराधीन स्टाम्पवादों के त्वरित निस्तारण हेतु समयबद्ध रूप से कार्यवाही कराने व अधीनस्थ अधिकारियों को भी इस संबंध में त्वरित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित करते हुए कृत कार्यवाही/प्रगति की आख्या शासन को माहवार उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।